न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद।

UPMO050013442021

सिविल सूट सं0—1344/2021
श्रीमती रीतू सिंह आदि बनाम कुंवर विजय सिंह आदि।

दिनांक—27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 17क पर सुना गया।

संशोधन प्रार्थनापत्र 17क वादीगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण ने उपरौकत वाद वास्ते घोषणात्मक दायर किया है। प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण के उपर बजरिये नजारत सम्मन भिजवाये। प्रार्थीगण को पता चला है कि प्रतिवादीगण का जो पता दावा हाजा में अंकित है, उस पते पर प्रतिवादी सं0 1 नहीं रहता है। जब प्रार्थीगण ने मालूमात की तो प्रतिवादी सं0 1 का नया पता मालूम चला जो इस प्रका है जी 34 गौर ग्रेसियस कांठ रोड मुरादाबाद जिसके लिए वादपत्र में संशोधन होना जरूरी है। अतः प्रार्थना है कि संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि संशोधन प्रार्थनापत्र औपचारिक प्रकृति का है तथा प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तथा वाद के उचित निस्तारण में सहायता प्राप्त होगी। प्रस्तुत मामले में अभी प्रतिवादीगण हाजिर नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र 17क न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

संशोधन प्रार्थनापत्र 17क स्वीकार किया जाता है। वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह संशोधन प्रार्थनापत्र के प्रकाश में वादपत्र में संशोधन अंदर सप्ताह करे।

पत्रावली वास्ते जबावदेही/तनकीह दिनांक—31.05.2022 को पेश हो।

(तृषा मिश्रा)
सिविल जज (सी0डि0), मुरादाबाद।
जे0आे0 कोड—यू0पी0 2074